न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 493/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती मेतीदेवी पत्नी स्व0 सरूपा जाति नाई निवासी गांव सणाऊ तहसील चौहटन जिला बाडमेर		1– सरपंच ग्राम पंचायत सणाऊ, तहसील चौहटन जिला बाडमेर 2– सवाई पुत्र सरूपा के का0मुकाम– 2.1–जुंजाराम पुत्र सवाई 2.2–राणाराम पुत्र सवाई 2.3–लीला पत्नी सवाई 3– आसु पुत्र सरूपा 4– भीया पुत्र वीरा 5– जोरा पुत्र वीरा जातियान नाई निवासीगण सणाऊ, तहसील चौहटन जिला बाडमेर 6– तनसिह पुत्र इन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी सणाऊ तहसील चौहटन जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–5–2013 जो राजस्व अपील संख्या 306/11 अनवान श्रीमती मेतीदेवी बनाम सरपंच ग्रा.पंचा.सणाऊ मे उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री महेश मेहता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री विशाल जांगिड अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.1 से 2.3 की ओर से ।
3– श्री बी0एल0चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 8–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मेतीदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 383 के विरूद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की कि मौजा सणाऊ तहसील चौहटन के खसरा नंबरान 155, 164, 254, 537/54 कुल 4 खसरान की 52 बीघा 18 बिस्वा संयुक्त खातेदारी की भूमि मे उसके पति सरूपा के फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि मे अपीलार्थियां का नाम छोडकर केवल मृतक सरूपा के दो पुत्रो के नाम दर्ज करते हुए नामांतरकरण संख्या 383 पेश किया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत सणाऊ ने बिना विधिक वारिसान की जांच

किये स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थियां की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29–5–2013 के आधार पर पत्रावली पेशी पर ली जाकर अपीलार्थियां के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के आधार पर अपील की कार्यवाही को समाप्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–2013 को ही पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थियां विधवा एवं अनपढ औरत होने से उसे धोखे मे रखकर यह कहकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करवाया कि राजीनामा हो गया है, जिसके आधार पर अपीलांट की अपील की कार्यवाही समाप्त की गई, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थियां अनपढ, विधवा महिला है तथा उसके पोते ने बहकावे मे लेकर उसको धोखे मे लेकर अधीनस्थ न्यायालय मे विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया है तथा अपीलार्थियां को वास्तविकता से अनभिज्ञ रखा गया है तथा अपीलार्थियां ने अपना किसी प्रकार का हक नही त्यागा है तथा न ही अपीलार्थियां के अधिवक्ता की जानकारी से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थनापत्र पेश करवाया है इसलिए अपीलार्थियां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई कार्यवाही को अपास्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की अपील की तारीख पेशी दिनांक 27–6–2013 को मुकर्रर थी लेकिन अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व उसके अधिवक्ता की गैर मौजुदगी मे मिसल तलब करवाकर तारीख पेशी से पूर्व अपील जरिये विड्रो प्रार्थना पत्र के कार्यवाही समाप्त की गई है, जो कार्यवाही अपीलार्थियां को धोखे मे रखकर करवाई है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपील के विचाराधीन रहते हुए तथा स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए अपीलाधीन

भूमि का बेचान कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उक्त बेचान के आधार पर अपीलार्थियां को कोई अधिकार हासिल नही होते है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां के पति की खातेदारी की भूमि मे उसका हक अधिकार बनता है जिसको वह प्राप्त करना चाहती है, जिसको प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही समाप्त की गई है, अपीलार्थियां उसको रि–ओपन करवाना चाहती है तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–5–2013 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील मे अपीलार्थियां स्वयं ने दिनांक 29–5–2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि गांव के मौजिज व्यक्तियो ने आपसी राजीनामा करवा दिया है, हम आपस मे एक ही परिवार के है तथा हमारे मध्य कोई विवाद नही हो इसलिए हमने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है इसलिए उक्त अपील को जरिये राजीनामा विड्रो करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियां स्वयं भी उपस्थित हुई थी। जिसके आधार पर अपीलार्थियां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील की कार्यवाही को उसी स्टेज पर समाप्त करने का जो आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील को आपसी सहमति से विड्रो की थी तो ऐसे मे सी.पी.सी. के आदेश 23 अनुसार ऐसे आदेशो के विरूद्ध अपील पेश ही नही की जा सकती है । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी इस बहस के समर्थन मे 2016 (1) सी.सी.सी.पेज 477(डीबी) कर्नाटका हाईकोर्ट एवं 2016 (3) सी.सी.सी.पेज 477(डीबी) बोम्बे हाईकोर्ट की निर्णय नजीरे पेश करते हुए अपीलार्थियां यदि अधीनस्थ न्यायालय मे उसके द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के प्रार्थना पत्र को री–कॉल करवाना चाहती थी तो उसके सामने

उसी न्यायालय के समक्ष 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही करवाने का विकल्प था परंतु अपीलार्थियां ने ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की है, जो अपील चलने योग्य नही होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए थे तथा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील का निर्णय दिनांक 29–5–2013 को हो जाने के साथ ही स्थगन आदेश भी समाप्त हो चुका था तथा उसके पश्चात अपीलाधीन भूमि का बेचान दिनांक 4–7–2013 को हुआ है इसलिए अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि स्थगन आदेश के प्रभावी रहते अपीलाधीन भूमि का बेचान हुआ है, जो सही नही है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया । अपीलार्थियां द्वारा अपने पति के खातेदारी की भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानते हुए उसके पति के फौत होने पर भरे गये नामांतरकरण संख्या 383 को अधीनस्थ न्यायालय मे अपील के जरिये चुनौती दी थी तथा अपीलार्थियां स्वयं ने ही उक्त अपील को पक्षकारो के बीच राजीनामा हो जाने से विड्रो करने बाबत लिखित प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष उपस्थित होकर पेश किया था । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपील कार्यवाही को समाप्त कर पत्रावली फेसलशुमार की है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि सी.पी.सी. के आदेश 23 के प्रावधान अनुसार इस प्रकार की सहमति के आधार पर पारित आदेशो के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नही है तथा यही अभिमत वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत

निर्णय नजीरो मे भी दिया गया है, जो वर्तमान प्रकरण मे लागू होती है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थियां की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया था, यदि उक्त प्रार्थना पत्र उसे धोखे मे रखकर तथा कूटरचित तरीके से पेश करवाया गया था तो अपीलार्थियां धोखाघडी की कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर